

अंक 8 वर्ष 4

विकास-पथ

वर्ष 2017-18



मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लि.

(रेल मंत्रालय का सार्वजनिक उपक्रम)

www.mrvcl.indianrailways.gov.in

दिनांक 22 मई, 2017 को विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करते तत्कालीन रेलमंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु।



दिनांक 13 अगस्त को विभिन्न परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करते तत्कालीन रेलमंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु।



संसदीय समिति के दौरे पर समिति के सदस्यों का स्वागत करते तत्कालीन निदेशक (परियोजना) एवं वर्तमान सी एम डी





अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का संदेश

प्रिय साथियों,

भारत के संविधान तथा राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राजभाषा हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग दैनिक सरकारी कार्यकलापों में होना चाहिए। इसके बावजूद देखा गया है कि राजभाषा के रूप में हिंदी वह स्थान प्राप्त नहीं कर पाई है जिसकी वह हकदार है, बहुसंख्य नागरिकों को सुविधा व लाभ पहुँचाने में हिंदी सर्वथा उपयुक्त व सक्षम है क्योंकि इसकी प्रकृति हिंदुस्तानी है जिसमें अन्य भाषाएं, बोलियां घुली-मिली हैं। निश्चय ही जन-भाषा और राजभाषा के बीच की खाई को पाटना एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि सरकारी कामकाज का दायरा बहुत बड़ा है तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता को अपनी भाषा में सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है और इस स्तर पर हिंदी में कार्य का माहौल तैयार करने का हम पर दायित्व है।

हिंदी में मूल कार्य का प्रयास होना चाहिए क्योंकि यह आम नागरिक की भाषा है इसके साथ ही जनता के सशक्तिकरण के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का हिंदी में प्रयोग बेहद आवश्यक है। अक्सर सरल हिंदी की बात होती है इसका तात्पर्य है कि व्यावहारिक, बोलचाल की भाषा में अखबार, टीवी, मीडिया, बाजार, आफिस, कार्यस्थल आदि को इसका मुख्य स्रोत बनाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि राजभाषा से जुड़ी सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं सरल शब्दावली को विकसित कर जन-जन तक पहुँचाएं।

विगत वर्षों में हिंदी का विकास काफ़ी तेजी से हो रहा है। अब यह केवल बोल-चाल और लेखन से ही संबंधित नहीं रही अब इसने कम्प्यूटर में अपनी गति पकड़ ली है, कई ई-टूल्स अब बाजार में उपलब्ध हैं जैसे कि लीला सॉफ्टवेयर -इसके द्वारा बहुत सारी भाषाओं से हिंदी का प्रशिक्षण स्वतः प्राप्त किया जा सकता है। सभी कम्प्यूटर अब यूनिकोड एनेबल आते हैं साथ ही गूगल वॉयस टायपिंग, मशीन अनुवाद, गूगल-अनुवाद, ई-महाशब्द कोश जैसी अनेकानेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी विभाग, उपक्रम, बैंक आदि अपने स्तर पर कस्टमाइज्ड ई-टूल्स द्विभाषी निर्मित कर रहे हैं, अर्थात् अब हिंदी में काम न करने का कोई बहाना बनाना आसान नहीं होगा। समस्त क्षेत्रों में व्यवस्थित प्रयास व मौलिक पहल की जरूरत है।

हिंदी के माहौल के अनुकूल निर्माण हेतु आवश्यक है, हिंदी का निरंतर प्रयोग तथा छोटे-छोटे कार्य करने की इच्छा शक्ति का हम संकल्प लें तभी हम हिंदी का एक बेहतर सपना पूरा कर पाएंगे।

मैं राजभाषा के समस्त परिवार को 'विकास-पथ' के प्रकाशन की बधाई देता हूँ।

आर. एस. खुराना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



निदेशक (वित्त) की कलम से

प्रिय साथियों,

भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की 'राजभाषा' हिंदी लिखी गई है। यह 'राजभाषा' शब्द भी बड़ा मार्मिक शब्द है। यदि इस एक शब्द को सम्यक रीति से समझ लें और इसका सही प्रयोग करें, तो संविधान के उत्तरवर्ती दस्तावेज राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम और इससे संबंधित ढेर सारे आदेशों और ज्ञापनों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। उत्तरवर्ती दस्तावेज तो उस एक शब्द की व्याख्या मात्र है।

सचमुच हिंदी एक अद्भुत क्षमता वाली भाषा है, क्योंकि इसके मूल में सबसे प्राचीन व सबसे समृद्ध भाषा संस्कृत है। हिन्दी की किसी भारतीय भाषा से कोई बैर नहीं है बल्कि भारतीय भाषाएं तो हिंदी की ताकत है। हिंदी वैश्विक स्तर पर भारतीय संस्कृति के सभी तत्वों की अपनी भाषा में अभिव्यक्ति का माध्यम है।

इतनी समृद्ध भाषा होने के बावजूद भी हम आपसी पत्र-व्यवहार में इसका उपयोग करने से कतराते हैं, अपने नजदीकी कार्यालयों में भी पत्र भेजना हो तो हम अंग्रेजी का प्रयोग करना ज्यादा उपयोगी समझते हैं, यहाँ तक कि अपने उच्च अधिकारियों को टिप्पणी लिखने में भी अंग्रेजी में ज्यादा सहूलियत महसूस करते हैं। यह आश्चर्यजनक सत्य है कि आज भी हम इस अपार क्षमता वाली भाषा हिंदी को कविता, कहानियाँ, चुटकुले और पहेलियों की भाषा ही समझते हैं। यह विडम्बना ही है कि हम अपनी भाषा का प्रयोग करते समय दूसरों की ओर देखते हैं, दूसरों को दोषी ठहराते हैं और अपने हिस्से का प्रयास भी नहीं करते हैं।

प्रत्येक देश अपनी संस्कृति और सभ्यता की सुरक्षा और संरक्षा को प्राथमिक स्तर पर महत्व देता है। भारत अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ-साथ अपनी भाषाओं की रक्षा और गरिमा के लिए भी निरंतर प्रयासरत रहा है। जहां विदेशी ताकतों ने अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए भाषा को समाप्त करने की लाख कोशिश की और काफी हद तक सफल भी रहे। इसका उदाहरण आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम अपनी राजभाषा की गरिमा को उसका अधिकार दिलाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं।

“विकास पथ” आपकी अपनी पत्रिका है इस पत्रिका का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें ताकि अधिक से अधिक पाठक इस पत्रिका से जुड़ें और अधिकतम लोगों तक ज्ञान की दुनिया की रोशनी पहुँचाने में हमें सफलता मिले।

हार्दिक शुभ कामनाओं सहित।

बिनाय मेहरा
निदेशक (वित्त)



निदेशक (तकनीक) के विचार

प्रिय साथियों,

अत्यंत प्राचीन काल से 'हिंदी' में साहित्य सृजन एवं शिक्षण की एक सुदीर्घ परंपरा हम सबके सम्मुख रही है। लंबी साहित्यिक परंपरा के साथ-साथ लोक व्यवहार में भी संपूर्ण भारत को समेटती हुई हिंदी 'राष्ट्रभाषा' के रूप में प्रतिष्ठित है। लेकिन यह भी एक निर्विवाद तथ्य है कि पिछले कई दशकों से 'राजभाषा' के रूप में हिंदी अपने अस्तित्व के लिए भी निरंतर प्रयासरत है।

हिंदी के राष्ट्रभाषा रूप की अवधारणा मुख्यतः राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विकसित हुई। संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने, और अपनी जातीय अस्मिता को जगाकर स्वतंत्रता प्राप्त करने की प्रेरणा देने के लिए सभी राजनेताओं, विद्वानों व साहित्यकारों ने 'हिंदी' को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया।

भारत में संविधान सभा का गठन सन 1947 में हुआ था। उसी समय यह निर्णय लिया गया था कि सभा के कामकाज की भाषा हिंदुस्तानी या अंग्रेजी होगी। बाद में हिंदुस्तानी के स्थान पर 'हिंदी' शब्द रखा गया। संविधान सभा की 11 से 14 सितंबर 1949 की बैठक में 'देवनागरी' में लिखित हिंदी को 'राजभाषा' स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार संविधान में राजभाषा से संबंधित व्यवस्था की गई है।

राष्ट्रीय विकास में उस देश की राष्ट्रभाषा के अतिरिक्त वहाँ की राजभाषा का भी विशिष्ट महत्व होता है। दोनों में अंतर यह है कि राष्ट्रभाषा का विकास स्वतःस्फूर्त और प्रवाहमान होता है जबकि राजभाषा शासन तंत्र की नीतियों के संयोजन का साधन है। वह प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा होती है किन्तु, किसी भाषा को 'राष्ट्रभाषा' का पद जनमानस के व्यवहार के बिना नहीं मिलता।

किसी भी सभ्य समाज में या राष्ट्र में विचार-विनिमय के लिए एक ऐसी भाषा की जरूरत होती है जो संपूर्ण समाज या राष्ट्र में समान रूप से समझी और बोली जाए। इस व्यापक संप्रेषणीयता की दृष्टि से सर्वसाधारण से लेकर शिक्षित वर्ग तक सभी के द्वारा प्रयुक्त होने वाला हिंदी का सर्वमान्य रूप राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृत है। इस तरह अपने दोनों रूपों-राष्ट्रभाषा और राजभाषा में हिंदी भाषा अपना दायित्व सहजता से निभा रही है क्योंकि इनमें अन्तःसंबंध है। "राष्ट्रभाषा" सम्पूर्ण देश में प्रयुक्त होने वाली सर्व-स्वीकृत भाषा होती है जबकि प्रशासनिक कार्यों के व्यवहार में प्रयुक्त होने वाली 'राजभाषा' घोषित की जाती है।

मैं विकास पथ के निरंतर प्रकाशन और उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

रवि अग्रवाल
निदेशक (तकनीक)



संपादकीय

14 सितम्बर, 1949 से लेकर आज तक संवैधानिक प्रावधानों एवं संकल्पों के दृढ़ आधार पर हिंदी राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। संवैधानिक स्तर पर भी हिंदी के अनुप्रयोगात्मक आयामों को सरकारी गैर- सरकारी कार्यालयों आदि में अपनाने पर ज़ोर एवं प्रोत्साहन दिया जाता रहा है। हिंदी को प्रशासनिक, कार्यालयीन व व्यावसायिक स्तरों पर प्रयोग में लाने के लिए शब्दावली निर्माण के साथ-साथ हिंदी में कार्य करने के लिए कम्प्यूटर, टेलीप्रिंटर व अन्य यांत्रिक साधनों की व्यवस्था व सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

आज विभिन्न मंत्रालयों द्वारा राजभाषा हिंदी को विभिन्न क्षेत्रों जैसे – कृषि, चिकित्सा, सूचना एवं प्रसारण, विज्ञान, गणित, डाक एवं तार आदि को तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है. हालांकि हिंदी के उपयोग को सरकार प्रोत्साहन दे रही है, यद्यपि इस वर्तमान स्थिति को पूरी तरह संतोषजनक नहीं कहा जा सकता.

हिंदी का उपयोग तब ही संभव है जब यह लोकप्रिय बने. सिर्फ हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी बोलना या पढ़ लेना काफी नहीं है. स्कूल के छात्र एवं छात्राओं में हमें इसे लोकप्रिय बनाना होगा. आजकल हर जगह हिंदी एवं अंग्रेजी का मिश्रण – हिंगलिश का ही प्रचलन है. इससे युवा पीढ़ी न ही सही ढंग से हिंदी और न ही सही ढंग से अंग्रेजी ही जान पाती है।

हिंदी सिनेमा पूरे विश्व में प्रचलित है तब यह आश्चर्य का कारण है कि हिंदुस्तानी युवा पीढ़ी हिंदी लिखने तथा उपयोग करने से कतराती है. हर देश में उसकी अपनी भाषा का उपयोग हर क्षेत्र में किया जाता है परंतु भारत में भाषाओं की अनेकता के कारण विचारों में मतभेद पैदा हो जाते हैं। जबकि सत्य यही है कि हर भाषा उपयोगी भी है और जरूरी भी।

हिंदी साहित्य, गीत एवं नाट्य तो विशेषकर अत्यंत दिलचस्प एवं धनी हैं. हमारी युवा पीढ़ी का रुझान हिंदी भाषा की तरफ ही होगा जब वे इसके संपन्न साहित्य से अवगत होंगे यही युवा वर्ग हर कार्यक्षेत्र में हिंदी का उपयोग करेंगे।

कबीर, प्रेमचंद, रसखान, रहीम तथा तुलसी के इस देश में यदि इन्हें पढ़ने एवं समझनेवाली अगली पीढ़ी-दर-पीढ़ी ही न पनप सके तो यह हमारी भूल होगी। आइए, हम सभी हिंदी को जगतप्रिय बनाएं और इसके लिए अथक प्रयास करें।

“ विकास पथ ” का 8 वां अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है. यदि इस अंक को पढ़कर आप हिंदी के प्रति जागरुक होते हैं तो हमारा प्रयास बिल्कुल सफल होगा।

संजय कुमार
मुख्य राजभाषा अधिकारी

अंक 8

वर्ष 4

विकास-पथ

2017-18

संरक्षक

आर. एस. खुराना
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

संपादक

संजय कुमार
मुख्य राजभाषा अधिकारी व
वित्त सलाहकार तथा
मुख्य लेखा अधिकारी

संपादक मंडल

स्मृति जेकब
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी

अनुपम शर्मा
मुख्य कल्याण निरीक्षक

प्रकाशक

मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लि.
2 री मंजिल, चर्चगेट स्टेशन बिल्डिंग,
चर्चगेट, मुंबई- 400 020
वेब साईट www.mrvc.gov.in

अनुक्रमिका

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का संदेश	2
निदेशक (वित्त) की कलम से	3
निदेशक (तकनीक) के विचार	4
संपादकीय	5
उपलब्धियाँ 2017-18	7
एम.यू.टी.पी.- III	10
राजभाषा गतिविधियाँ	11
मैग्नेटिक महाराष्ट्र कन्वर्जेस-2018	18
सी एस आर मेला-2017	19
कार्पोरेट सोशल दायित्व गतिविधियाँ	21
भारत में राजभाषा की स्थापना	32
मोहन (कहानी)	36
धन्यवाद यात्री (कटाक्ष)	38
परिस्थिति पूछने आए (कविता)	41
जब पुस्तकें मुसीबत बन जाती हैं (व्यंग)	42
यह अजनबी शहर है (कविता)	44
12 वाँ वार्षिकोत्सव	45

उपलब्धियाँ 2017-18

1. जोगेश्वरी प्लेटफॉर्म नंबर एक का डिस्मेंटलिंग :

एमआरवीसी द्वारा अंधेरी से गोरेगांव तक लाइन के विस्तार हेतु कार्य को ध्यान में रखते हुए जोगेश्वरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नं. 1 को दिनांक 23.04.2017 को डिस्मेंटल कर दिया गया। जोगेश्वरी स्टेशन के एक नंबर प्लेटफॉर्म के पश्चिम की ओर बंद होने के बाद, बोरीवली-विरार की तरफ धीमी गाड़ियों के यात्री को प्लेटफॉर्म नंबर एक के पूर्व की ओर का उपयोग ट्रेन में चढ़ने व उतरने के लिए कर सकते हैं।

2. दिनांक 16.05.2017 को माननीय रेलमंत्री द्वारा पश्चिम रेलवे पर विभिन्न ट्रेसपास नियंत्रण उपायों उदघाटन संबंधी किया गया; जिसमें से मुख्य कार्य निम्नांकित हैं -

- पी एफ नंबर पर लिफ्ट डेक और लिफ्ट बोरीवली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नं. 1 पर एलिवेटड डेक व लिफ्ट।
- दादर, माटुंगा रोड और भाईंदर स्टेशनों में नए एफ ओबी।
- अंधेरी स्टेशन पर एफओबी से मेट्रो स्टेशन को जोड़ने वाला स्काईवॉक।
- दादर, भायंदर, वसई रोड और नालासोपारा स्टेशनों पर एस्केलेटर।
- कांदिवली, बोरीवली और वसई रोड स्टेशनों पर एलिवेटड बुकिंग कार्यालय।
- नालासोपारा स्टेशन पर नया यात्री आरक्षण केंद्र।
- गोरेगांव और कांदिवली स्टेशनों पर नये शौचालय ब्लॉक।



3. माननीय रेल मंत्री द्वारा मध्य रेलवे पर दिनांक 22.05.2017 को निम्नलिखित विभिन्न ट्रेसपास नियंत्रण उपायों का उद्घाटन / समर्पण किया गया है।



• डॉकयार्ड रोड और ठाकुर्ली स्टेशनों में बुकिंग कार्यालय।

- कल्याण स्टेशन पर एफओबी।
- दादर और कल्याण में स्काईवॉक्स और लिंक।
- कुर्ला और दादर स्टेशनों पर एस्केलेटर।
- ठाकुर्ली स्टेशन पर टॉयलेट ब्लॉक के साथ होम प्लेटफॉर्म
- दादर, कुर्ला, ठाकुर्ली, वडाला रोड और चेंबूर स्टेशनों पर एफओबी
- कुर्ला में स्काईवॉक्स और लिंक
- रे रोड, कॉटन ग्रीन, चेंबूर और मानखुर्द स्टेशनों पर नए बुकिंग ऑफिस।
- बोरिवली में प्लेटफार्म नंबर 10 पर लिफ्ट का ई-उद्घाटन:



4. बोरिवली में प्लेटफार्म नंबर 10 पर लिफ्ट का ई-उद्घाटन

तत्कालीन माननीय रेलमंत्री द्वारा दिनांक 13.08.2017 को बोरिवली में प्लेटफार्म नंबर 10 पर लिफ्ट का ई-उद्घाटन एमयूटीपी 2 के विभिन्न ट्रेसपास नियंत्रण उपाय के तहत किया गया।

5. 14 सितंबर 2017 को संसदीय समिति का दौरा:

दिनांक 14 मार्च, 2017 को संसदीय समिति के दौरे के समय एमआरवीसी द्वारा मुंबई के शहरी परिवहन परियोजना (एमयूटीपी) की रेल घटक के कार्यान्वयन को समिति के समक्ष पेश किया गया। समिति एमयूटीपी के कार्यों की प्रगति से संतुष्ट थी और इसके लिए उन्होंने एमआरवीसी की सराहना की।

पश्चिमी रेलवे पर 32 अतिरिक्त सेवाएं तथा हार्बर और ट्रांस-हार्बर लाइन प्रत्येक पर 14 अतिरिक्त सेवाएं अक्टूबर 2017 में शुरू की गई हैं। इससे मुंबई उपनगरीय यात्रियों को भीड़ से थोड़ी राहत प्राप्त हुई है।



6. हार्बर लाइन पर 12 कार चलाना:

हार्बर लाइन पर सीएसटीएम / अंधेरी से पनवेल तक 12 कार चलाने के काम के तहत 13 में से पहला 12 कार ईएमयू रैक 11.11.2017 को मुंबई पहुंचा। इस काम के तहत 7 रैक आईसीएफ द्वारा 31.12.2017 तक प्रेषित कर दी गई हैं।



7. मध्य और पश्चिमी रेलवे पर नए एफओबी का निर्माण:

रेलवे बोर्ड ने मुंबई उपनगरीय अनुभागों पर एफडीआई के कार्य-निष्पादन के कार्य के तहत एमआरवीसी को मध्य रेलवे के 14 और पश्चिमी रेलवे के 16 स्टेशनों पर फुट ओवर ब्रिज बनाने का कार्य सौंपा है, एम आर वी सी द्वारा प्रारंभिक कार्य शुरू किया जा चुका है।



8. अंधेरी से गोरेगांव तक हार्बर लाइन का विस्तार:

अंधेरी से गोरेगांव तक हार्बर लाइन के विस्तार के सभी कार्यों को पूरा कर लिया गया है तथा ईएमयू के ट्रायल रन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया, शीघ्र ही ये सेवाएँ प्रारम्भ हो जाएंगी।

एम.यू. टी. पी. - III के अंतर्गत किए जाने वाले ई एम. यू. डिब्बों की विशेषताएं।

क्र.	एम यू टीपी- III नए डिब्बों में सुधारित विशेषताएं
1.	ईएमयू डिब्बों में वातानुकूलन व्यवस्था करना
2.	यात्रियों की संरक्षा में सुधार लाने के लिए ईएमयू डिब्बों में स्वचालित दरवाजा बंद की प्रणाली का प्रयोजन करना।
3.	मेट्रो डिब्बों की तरह ईएमयू डिब्बों में गैंग-वे (वेस्टिब्युल) का प्रयोजन करना।
4.	ईएमयू डिब्बे में एलसीडी पैनल के साथ विज्ञापन एवं सूचनाधारित मनोरंजन के प्रावधान के साथ सुधारित यात्री सूचना प्रणाली का प्रयोजन करना।
5.	ईएमयू डिब्बों में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी व्यवस्था (नियंत्रण कक्ष से सीधे संपर्क के साथ) का प्रयोजन करना।
6.	महिला यात्रियों के डिब्बे से नियंत्रण कक्ष से वार्ता की सुविधा का प्रयोजन करना।
7.	उच्च त्वरण (0.8 मी/से ²) जिससे यात्रा शीघ्र हो सके।
8.	कम मरम्मत एवं बेहतर आरामदायक यात्राओं के लिए नई सुधारित डिजाईन बोगी का प्रयोजन करना।
9.	उच्च ऊर्जा बचत संकल्पना (अपेक्षित 40... से अधिक)
10.	ईएमयू डिब्बों में सुधारित एवं ऊर्जा संचार वाली एलईडी आधारित ट्युब लाईट का प्रयोजन।
11.	आधुनिक सहायक चेतावनी प्रणाली (गाड़ी नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली के साथ समुचित व्यवस्था सहित) का प्रयोजन करना।

अजीत शर्मा
कार्यकारी निदेशक (विद्युत)

राजभाषा गतिविधियां



दिनांक 21 जुलाई, 2017 को आयोजित मुंबई उपक्रम नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही बैठक में एमआरवीसी को सम्मानित किया गया। एमआरवीसी की ओर से यह सम्मान तत्कालीन निदेशक (परियोजना) एवं वर्तमान सी एम डी श्री रवि शंकर खुराना ने ग्रहण किया।

राजभाषा सप्ताह:

दिनांक 14 सितम्बर, 2017 से 21 सितम्बर, 2017 तक राजभाषा सप्ताह का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे- अधिकारियों, कर्मचारियों एवं बच्चों के लिए निबंध प्रतियोगिता: (विषय: भारत में विमुद्रीकरण(नोट बंदी) का प्रभाव, अधिकारियों / कर्मचारियों के बच्चों के लिए पोस्टर प्रतियोगिता; विषय: डिजिटल इंडिया, अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए वाक् प्रतियोगिता :भारत में निजता(प्राइवैसी) की सीमाएं, कर्मचारियों के लिए ई- प्रतियोगिता (टाइपिंग), अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए संगोष्ठी भारत में विमुद्रीकरण का प्रभाव, राजभाषा विभाग द्वारा कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा प्रश्न मंच का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के सभी विजेताओं को नगद पुरस्कार भी दिए गए।



मुंबई (उपक्रम) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में राजभाषा संगोष्ठी:

मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 8 दिसम्बर, 2017 को नराकास के तत्वावधान में संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसका विषय था “शब्दों की रोमांचक यात्रा-अतीत से वर्तमान तक”। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने की इस कार्यशाला में मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के अलावा श्री अनंत श्रीमाली सहायक निदेशक, राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय, श्री रामविचार यादव सदस्य सचिव/नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, प्रोफेसर करुणाशंकर उपाध्याय/ प्राध्यापक, मुंबई विश्वविद्यालय एवं अन्य सभी उपक्रमों (पी एस यू) के प्रतिनिधि उपस्थित थे।



अतिथि वक्ता श्री अनंत श्रीमाली / सहायक निदेशक/ राजभाषा विभाग/ गृह मंत्रालय ने अपनी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर प्रेजेन्टेशन के माध्यम से की। श्रीमाली जी ने शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों के प्रयोग, शब्दों की विलुप्तता, नए शब्दों का आगमन, शब्दों की यात्रा, वर्तमान में शब्दों की स्थिति, सही शब्दों का प्रयोग, शब्दों का दुरुपयोग, शब्द रूपी बाण, शब्दों की परिभाषा, शब्दों का औचित्य सब कुछ बहुत ही रोमांचक तरीके से बताया।



इस कार्यक्रम में विशेष रूप से पधारे मुंबई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री करुणा शंकर उपाध्याय ने शब्दों की ऐसी रोमांचक यात्रा का प्रस्तुतिकरण किया कि जिसमें उन्होंने सतयुग में महर्षि वाल्मिकीजी द्वारा रचित “रामायण” में प्रयुक्त शब्दों की चर्चा की तो “अभिज्ञान शाकुंतलम” का भी जिक्र किया। समीकरणों के माध्यम से उन्होंने बताया कि भारतीय राजभाषा हिंदी किस प्रकार से विश्व में अपनी पैठ बना रही है, उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब विश्व के सभी देशों में हिंदी बोली और पढ़ाई जाएगी।



संगोष्ठी की अंतिम प्रस्तुति श्री शरद मिश्र, उप मुख्य परिचालन प्रबंधक, एमआरवीसी की रही जिनकी कविता ‘लफ़्ज़ों में क्या रखा है’ का ख़ुबसूरत अंदाज कुछ ऐसा रहा ।



“बस एक लफ़्ज़ से ही इत्मेनान हो जाता है,उसी लफ़्ज़ को सुन चैन की नींद सो जाता है, और उसी लफ़्ज़ के बदलते पहलूओं पर,तमाम मायनों की गहरी नींद को खोता है,

वही ग़लत लफ़्ज़ बदले मज़नून में सच्चा है,कैसे कह दूँ साहब, कि लफ़्ज़ों में क्या रखा है।”

‘वैश्विक हिंदी सम्मेलन’ के तत्वावधान में राजभाषा संगोष्ठी:

9 फरवरी 2018 को मुंबई में ‘वैश्विक हिंदी सम्मेलन’ तथा मुंबई रेल कॉर्पोरेशन के संयुक्त तत्वाधान में एक ‘वैश्विक संगोष्ठी’ का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता श्रीमती स्मृति वर्मा / वित्त सलाहकार व मुख्य लेखा अधिकारी / एमआरवीसी ने की। संगोष्ठी में देश-विदेश के अनेक विद्वानों ने सहभागिता की। मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता मॉरीशस के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री रामदेव धुरंधर थे।



सम्मेलन में अतिथि विशेष, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कार्यालय की अपर आयुक्त श्रीमती मनप्रीत आर्य ने विषय प्रवर्तन करते हुए कहा कि हिंदी को उसका उचित स्थान दिलवाने के लिए केवल बातों से बात नहीं बनेगी, इसके लिए सबको मिल कर सार्थक प्रयास करने होंगे।



अतिथि विशेष मुंबई विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष प्रो. करुणा शंकर उपाध्याय ने विश्व और भारत के स्तर पर हिंदी के प्रयोग संदर्भ में प्रसार के महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित करते हुए कहा कि हम सब जो हिंदी भाषा या भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं उन्हें मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने देश-विदेश में हिंदी के प्रयोग व प्रसार के लिए किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करते हुए कहा कि सरकार हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनाने के लिए कटिबद्ध दिखाई देती लगती है यह देखकर ऐसा लगता है कि जल्द ही हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा बनेगी।



मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता मॉरीशस के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री रामदेव धुरंधर ने कहा कि 'मैं मॉरीशस में शब्द बोता हूँ और भारत में उनकी फसल काटता हूँ।' उन्होंने कहा कि मुंबई में मेरे लिए 'वैश्विक संगोष्ठी' में भाग लेना एक स्वर्णिम अवसर है जिसके माध्यम से मैं मुंबई के और मुंबई से बाहर के लेखकों, विद्वानों और भारतीय भाषा प्रेमियों के विचार जान पा रहा हूँ।



प्राज्ञ व पारंगत कक्षाएं:

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय के अनुमोदन पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित प्राज्ञ कक्षाओं हेतु मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लि. के 20 अधिकारियों/ कर्मचारियों को नामित किया गया था। नवम्बर, 2017 को राजभाषा विभाग / गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित प्राज्ञ परीक्षा में 11 अधिकारियों/ कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और सभी ने प्रथम श्रेणी में 70 से अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किए। राजभाषा विभाग / गृह मंत्रालय के नियमानुसार सभी सफल प्रतिभागियों को रु. 2400/- की राशि अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय के कर-कमलों से प्रदान की गई।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए पारंगत कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमि. के कार्यालय में 2 फरवरी, 2018 से यह कक्षाएं राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सहायक निदेशक द्वारा आयोजित की जा रही हैं जो कि 25 मई, 2018 तक आयोजित की जाएंगी।

मैग्नेटिक महाराष्ट्र - कन्वर्जेन्स - 2018

एमआरवीसी ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित प्रदर्शनी 'मैग्नेटिक महाराष्ट्र -कन्वर्जेन्स- 2018 'में हिस्सा लिया जिसमें एमआरवीसी ने अभी तक अपनी पूर्ण की गई परियोजनाओं के साथ ही कार्यान्वित व शीघ्र आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं को भी प्रदर्शित किया इस प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ वर्ष पहले जब भारत एक खरब की अर्थव्यवस्था बनकर उभरा था, तो यह खबर अखबारों की सुर्खियां बनी थीं। लेकिन इसके बाद के कुछ वर्ष घोटालों की भेंट चढ़ गए और भारत की छवि धूमिल हुई। अब पिछले तीन-चार वर्षों के निरंतर प्रयास से स्थिति फिर सुधरी है। बड़ी-बड़ी एजेंसियां कहने लगी हैं कि भारत 320 लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री के अनुसार देश का विकास तभी हो सकता है, जब राज्यों का भी विकास हो। इन दिनों अलग-अलग राज्य निवेश आमंत्रित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि पिछले वर्ष देशमें आए कुल विदेशी निवेश का 51 फीसदी अकेले महाराष्ट्र में आया है। प्रधानमंत्री के साथ मंच पर कुछ केंद्रीय मंत्रियों के अलावा देश-विदेश के चुनिंदा उद्योगपति भी मौजूद थे।



तीन दिवसीय सीएसआर मेले में एमआरवीसी की भागीदारी

4 मई, 2017 को केंद्रीय भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्री श्री अनंत गीते ने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में तीन दिवसीय (4-6 मई, 2017 तक) सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) मेले का उद्घाटन किया। इस मेले का आयोजन भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग एवं पीएचडी चैंबर द्वारा ओएनजीसी के सहयोग से किया गया।



इसका उद्देश्य कॉर्पोरेट क्षेत्र के अग्रणी लोगों, संगठनों, क्रियान्वयनकारी एजेंसियों और व्यावसायिक विशेषज्ञों के लिए एक ऐसा प्रमुख प्लेटफॉर्म मुहैया कराना, जहां वे जमीनी स्तर पर सीएसआर परियोजनाओं के सहभागिता क्रियान्वयन संबंधित समस्याओं के व्यावहारिक समाधानों से अवगत हो सकें।

केन्द्रीय मंत्री श्री अनंत गीते ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) से प्राथमिकता के आधार पर सामाजिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण क्षेत्रों विशेषकर स्वच्छता अभियान, शिक्षा एवं पेयजल पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा। उन्होंने कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 में किए गए संशोधनों के जरिए प्रतिष्ठानों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि उन्हें अपने मुनाफे का 2 प्रतिशत सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) गतिविधियों पर खर्च करना होगा, चाहे वह निजी क्षेत्र हो या सीपीएसई। फिलहाल यह कार्य स्वेच्छापूर्वक किया जा रहा है और यह नजरिया बड़ा बदलाव लाने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि सीपीएसई की सक्रिय भागीदारी की बदौलत ही स्वच्छता अभियान को सफलतापूर्वक चलाना संभव हो पा रहा है। श्री गीते ने कहा कि देश में धनराशि अथवा संसाधन की कोई कमी नहीं है, इसलिए सीएसआर गतिविधियों को इस दिशा में समुचित ढंग से आगे बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री गीते ने प्रधानमंत्री की अनेक पहलों यथा स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया का उल्लेख किया तथा सीपीएसई के प्रमुखों से अपील की कि वे इस संबंध में डीपीई द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करें।

मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लि. ने इस मेले में हिस्सा लिया और कॉर्पोरेशन द्वारा की जा रही सामाजिक दायित्व गतिविधियों की झलकियाँ प्रस्तुत की तथा 'डॉक्टर फॉर यू' के सहयोग से हेल्थ चेकअप कैम्प का आयोजन भी स्टॉल पर किया गया साथ ही 'सोप फॉर होप' के तहत साबुन रिसाइकिलिंग का डेमो भी प्रस्तुत किया गया।

सी एस आर मेला के फोटोग्राफ्स




कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के अंतर्गत गतिविधियाँ।

कॉर्पोरेशन द्वारा सीएसआर गतिविधियों के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों में काम किया जाता है।

- (ए) व्यावसायिक प्रशिक्षण: गोवंडी और मानखुर्द के पुनर्वास व पुनर्स्थापित क्षेत्र के लोगों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन करता है।
- (बी) स्वास्थ्य देखभाल: कॉर्पोरेशन गोवंडी और मानखुर्द के पुनर्वास व पुनर्स्थापित क्षेत्रों में दो स्वास्थ्य केंद्र चलाता है। जहाँ स्थानीय लोगों को बिना मूल्य विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती हैं
- (सी) स्वच्छता: कॉर्पोरेशन द्वारा गोवंडी स्टेशन पर रख-रखाव का कार्य किया जा रहा है।

- (ए) व्यावसायिक प्रशिक्षण: गोवंडी और मानखुर्द के पुनर्वास व पुनर्स्थापित क्षेत्र के लोगों के लिए निम्नलिखित ट्रेडों में व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है: -

- क. इलेक्ट्रिशियन
- ख. मोबाइल फोन मरम्मत
- ग. मोटर कार ड्राइविंग
- घ. सीएनसी खराद मशीन ऑपरेटर
- ड. स्वास्थ्य सहायक



इलेक्ट्रिशियन: एमआरवीसी हेल्थ सेंटर, लल्लुभाई कम्पाउंड, मानखुर्द के पुनर्वास व पुनर्स्थापित क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान मैसर्स डेज़ाव्यु स्किल लर्निंग एंड ट्रेनिंग सिस्टम प्राइवेट लि.के माध्यम से 4 बैचों में 56 युवाओं ने इलेक्ट्रिशियन का कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया। कोर्स पूरा होने पर इन्हें प्रमाण पत्र के साथ बॉश का टूल्स किट भी प्रदान किया गया।



“मोबाइल फोन की मरम्मत:”

“मोबाइल फोन की मरम्मत” व्यापार तथा स्वयं रोजगार करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। एमआरवीसी हेल्थ सेंटर, लल्लुभाई कम्पाउंड, मानखुर्द के पुनर्वास व पुनर्स्थापित क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान मैसर्स डेज़ाव्यु स्किल लर्निंग एंड ट्रेनिंग सिस्टम प्राइवेट लि.के माध्यम से 2 बैचों में 25 युवाओं ने “इलेक्ट्रिशियन” का कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया गया। कोर्स पूरा होने पर इन्हें प्रमाण पत्र के साथ मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स किट भी प्रदान किया गया।

मोटर कार ड्राइविंग: पुनर्वास व पुनर्स्थापित क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए 'मोटर ड्राइविंग क्लासेस' का कोर्स मैसर्स डेज़ाव्यु स्किल लर्निंग एंड ट्रेनिंग सिस्टम प्राइवेट लि. के माध्यम से आयोजित किया गया। वर्ष 2017-18 के दौरान 4 बैचों में 100 युवाओं ने मोटर कार ड्राइविंग का कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया।



सीएनसीमशीन ऑपरेटर कोर्स: सीएनसी ऑपरेटर की उद्योगों में मांग अधिक है, यहां तक कि ज्यादातर कार्यशालाएं / मशीन की दूकानें अब पारंपरिक मशीन से सीएनसी मशीन में बदलती जा रही हैं। जिसके कारण प्रशिक्षित सीएनसी ऑपरेटरों की मांग अब आपूर्ति से बाहर हो गई है। इसलिए पुनर्वास व पुनर्स्थापित क्षेत्र में युवाओं के लिए यह पाठ्यक्रम आयोजित किया गया है जिसका लक्ष्य सीएनसी मशीन संचालित करने में सक्षम करना तथा प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना है। इस प्रकार वह खुद को मुंबई के आसपास के उद्योगों में स्थापित कर सकता है। पाठ्यक्रम मैसर्स डेज़ाव्यु स्किल लर्निंग एंड ट्रेनिंग सिस्टम प्राइवेट लि. के माध्यम से 10 युवाओं के लिए आयोजित किया गया एवं उन्होंने कोर्स सफलतापूर्वक पूरा किया तथा उन्हें रोजगार भी उपलब्ध करवाया गया।

स्वास्थ्य सहायक: तीन बैचों की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद और स्वास्थ्य सहायक के कोर्स की सकारात्मक प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए 'डॉक्टर फॉर यू' के सहयोग से वर्ष 2017-18 के दौरान 6 महीने के पाठ्यक्रम के एक बैच में 15 युवतियों को प्रशिक्षित किया गया तथा सभी सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुकी युवतियों को 'डॉक्टर फॉर यू' द्वारा रोजगार भी उपलब्ध करवाया गया।

(बी) स्वास्थ्य देखभाल: नटवर पारेख कंपाउंड, गोवंडी और लल्लुभाई कम्पाउंड, मानखुर्द में एमआरवीसी द्वारा स्वास्थ्य केंद्र पर दंत चिकित्सा क्लिनिक, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास केंद्र, जनरल ओपीडी, गायनोकोलॉजी ओपीडी, पैथोलॉजी प्रयोगशाला और टीकाकरण ओपीडी, नेत्र (आई ओपीडी) सेवाएं, त्वचा विज्ञान (त्वचा ओपीडी) सेवाएं, मधुमेह और उच्च रक्तचाप सेवाएं आदि सेवाएं प्रदान की जाती हैं। रोजाना 35 प्रशिक्षित कर्मियों अर्थात् टीम, नर्स, मेडिकल सोशल वर्कर्स और सपोर्ट स्टाफ



की टीम के माध्यम से इसका आयोजन होता है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य आरएंडआर क्षेत्रों में निवारक, प्रोत्साहन और रोग निवारक स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करना है। इन सेवाओं को अब लल्लुभाई कंपाउंड / टाटा नगर-मानखुर्द, नटवर पारेख कंपाउंड / अम्बेडकर नगर-गोवंडी में कॉलोनियों में रह रहे 6 लाख से अधिक लोगों को प्रदान किया जाता है।

जनरल ओपीडी: पुनर्वास कॉलोनियों के निवासियों का विभिन्न बीमारियों के लिए इलाज किया जा रहा है।

दंत चिकित्सा क्लिनिक: रोगियों को दंत चिकित्सा सेवाएं अत्यधिक सब्सिडी वाली लागत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। इनमें दंत एक्स-रे, निष्कर्षण, बहाली, स्केलिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट (आरसीटी) आमतौर पर प्रदान की जाने वाली सेवाएं हैं।

वृद्धावस्था ओपीडी सेवाएं: 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी रोगियों को परामर्श, दवाएं और एक अलग जैत्रिक ओपीडी में प्रयोगशाला जांच प्रदान की जाती है।

व्यसन मुक्त ओपीडी सेवाएं: धूम्रपान, शराब और अन्य व्यसन से छुटकारा दिलाकर जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने तथा सकारात्मक बदलाव करने में मदद की जाती है।

मनो-चिकित्सा ओपीडी: उन रोगियों के लिए जो गंभीर मानसिक बीमारी सहित, नैदानिक अवसाद, आतंक और चिंता विकारों, ध्यान संबंधी विकार का अनुभव करते हैं, उनका उपचार किया जाता है।

ऑर्थोपेडिक ओपीडी सेवाएं: स्वास्थ्य संबंधी विकारों वाले मरीजों का स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया जाता है।

टीबी मुक्त सेवाएं: व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों को परामर्श और टीबी रोगियों के घरों के दौरे कर टीबी ट्रांसमिशन के तरीकों के बारे में शिक्षित किया जाता है, रोग की रोकथाम और दवाओं के समय पर सेवन और अधूरे और नशीली दवाओं के प्रतिरोध के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बताते हुए पर्याप्त उपचार किया जाता है।

टीकाकरण: विभिन्न टीकाकरण शिविरों के माध्यम से पुनर्वास व पुनर्स्थापित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण प्राप्त करने का लक्ष्य।


विशेष समुदाय आउटरीच सर्विसेज और हेल्थ कैंप:

स्वास्थ्य देखभाल शिविर: पुनर्वासित कालोनियों में बहुत सी स्वास्थ्य असमानताओं जैसे कि विखंडित स्वास्थ्य देखभाल पारिस्थितिक तंत्र, उच्च लागत, देखभाल की असंगत गुणवत्ता, अक्षम सिस्टम और क्षमता की देखभाल की जरूरत है। जिससे यहाँ समुचित विकास संभव हो सके। इस क्षेत्र में रहने वाले समुदायों की भलाई के लिए विभिन्न स्वास्थ्य पहल करना ही हमारा उद्देश्य है।

जागरूकता अभियान: सभी जगहों पर सुरक्षित पीने के पानी की जागरूकता के साथ ही आँख, कान, दंत रोगों जैसी समस्याओं पर ध्यान देने के साथ-साथ सामान्य और विशिष्ट स्वास्थ्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है।

हाथ स्वच्छता: पुनर्वास क्षेत्रों और आसपास के विद्यालयों में 'हाथ स्वच्छता' पर विभिन्न जागरूकता शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। इन शिविरों के दौरान निः शुल्क साबुन वितरित किए जाते हैं और बच्चों के लिए उचित हाथ धोने की तकनीक का प्रदर्शन किया जाता है। वितरित किए जाने वाले साबुन, होटल से इस्तेमाल किए गए साबुन इकट्ठा करके क्लोरीन से धोकर रिसाइकल करके पुनर्निर्मित किए जाते हैं। नियमित कार्य के अतिरिक्त 'डॉक्टर फ़ॉर यू' द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान की गई कुछ मुख्य गतिविधियां निम्नलिखित हैं -

1. “डॉक्टर फ़ॉर यू” की पैरा मेडिकल टीम घर-घर जा कर सर्वेक्षण करती है, जो लल्लूभाई कम्पौंड, हिरानंदानी, टाटानगर, शिवाजीनगर, सतहनगर, महाराष्ट्रनगर, मंडाला और सिद्धार्थनगर में अप्रतिरक्षित बच्चों की पहचान करने के लिए लगभग 6 लाख आबादी को कवर करती है। इस सर्वेक्षण के दौरान, टीम को एक परिवार मिला, जहां उनके पास 3 बच्चे हैं, जिन्हें कभी भी प्रतिरक्षित नहीं किया गया था क्योंकि उनकी मां को टीकाकरण के बारे में ज्ञान नहीं था 'डॉक्टर फ़ॉर यू' की पैरा मेडिकल टीम ने बच्चों को प्रतिरक्षित किया और माँ को नियमित रूप से बच्चों के टीकाकरण करने के बारे में बताया।



2. “डॉक्टर फ़ॉर यू” की पैरा मेडिकल टीम मंडाला / मानखुर्द की बस्तियोंमें आउटरीच टीकाकरण सेवाओं के विस्तार के रूप में, “आउटरीच टीकाकरण” शिविर का आयोजन करती है। विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता सत्र आयोजित किए जाते हैं और लाभार्थियों को विटामिन “ए” पूरक और डीवर्मिंग सेवाओं के साथ मुफ्त टीकाकरण सेवाएं प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक दिन विभिन्न स्थानों पर दो सत्र आयोजित किए जाते हैं। सत्र का संचालन करने के लिए हर महीने नए स्थानों की पहचान की जाती है और इन्हें टीकाकरण सूची में जोड़ा जाता है।



3. कुपोषण नियंत्रण कार्यक्रम: लल्लुभाई स्वास्थ्य केंद्र पर 1 अप्रैल 2017 से कुपोषण नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। गोवंडी और मानखुर्द की पुनर्वास कालोनियों में 50% से अधिक कुपोषित बच्चे हैं। कुल 650 कुपोषित बच्चों को एक साल की अवधि के लिए परियोजना में नामांकित किया गया। बच्चों को स्वस्थ भोजन की आदतों के बारे में माताओं को परामर्श सत्र के साथ नियमित पोषण की खुराक प्रदान की जाती हैं।




4. **कैंसर स्क्रीनिंग शिविर :** कैंसर का पता लगाने के लिए ग्रीवा और मौखिक कैंसर की जांच शिविरों का आयोजन किया गया। पुनर्वास व पुनर्स्थापित क्षेत्रों में कुल 5 कैंपों का आयोजन किया गया, जिसमें 30 से 69 साल की उम्र के बीच की 100 से अधिक महिलाओं की जाँच कर उन्हें जागरूक व सुरक्षित किया गया।



5. **बच्चों के लिए एनीमिया शिविर :** 6 महीने से 5 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए एनीमिया चेक-अप कैंप आयोजित किया गया। इस शिविर से करीब चालीस बच्चे लाभान्वित हुए थे। उनकी ऊँचाई, वजन और एनीमिया की पूरी तरह से जांच की गई।



6. **फिजियोथेरेपी कैंप:** एमआरवीसी हेल्थ सेंटर, लल्लूभाई कम्पौंड में फिजियोथेरेपी कैंप का आयोजन किया गया। कैंप 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए आयोजित किया गया था सभी माताओं को बच्चों के लिए कुछ आसान सलाह के साथ बच्चों को मालिश देने की सही तकनीकों के बारे में बताया गया।



7. **टीबी रोगियों के घरों के दौरे:** टीबी के उन रोगियों के लिए जो अपनी दवा नियमित लेने के लिए नहीं आते उनके लिए नियमित घर के दौरे किए जाते हैं। उन्हें 'डॉक्टर फॉर यू' टीम के सदस्य द्वारा सलाह दी जाती है और टीबी रोगी के खतरनाक प्रभावों के बारे में बताया जाता है। उन्हें यह भी कहा जाता है कि इसके निवारण के लिए किन सावधानियों को बरतने की आवश्यकता है।



8. **बौद्धिक विकलांग बच्चों के लिए कुपोषण शिविर:** बौद्धिक विकलांग बच्चों के लिए एक शिविर 8 अक्टूबर, 2017 को आयोजित किया गया। इस बीमारी के कारण मुख्यतः कम आहार, पाचन की स्थिति या किसी अन्य बीमारी का शामिल होना है। पोषण की कमी के कारण बच्चों में सह-रोगी स्थितियों के विकास के लिए माता-पिता को निर्देशित किया गया। उन्हें अपने बच्चों के लिए स्वस्थ भोजन की आदतों का पालन करने की सलाह दी गई थी।



9. **बच्चों के लिए कुपोषण परामर्श शिविर:** लल्लुभाई कम्पाउंड और नटवर पारिख कम्पाउंड क्षेत्र के बच्चों के लिए कुपोषण जांच शिविर आयोजित किए गए जिसमें कुल 500 से अधिक बच्चों की जाँच की गई तथा जरूरतमंदों को उचित सलाह तथा उपचार दिया गया।



10. **फिजियोथैरेपी सत्र:** एक 19 वर्षीय कबड्डी खिलाड़ी अपने खेल के दौरान घायल हो गया था और सर्जरी के बाद उसे एमआरवीसी स्वास्थ्य केंद्र के फिजियोथैरेपी डिपार्टमेंट में भेजा गया था। जब वह केंद्र पर आया था तो उसका घुटना काफी दर्द कर रहा था, सूजन थी और चलने की गति की सीमा कम हो गई थी और चलने में भी कठिनाई थी। 30 फिजियोथैरेपी सत्रों के माध्यम से दर्द में राहत के साथ ही अब वह पूरी गति से बिना वॉकर की मदद के सुचारु रूप से चल व खेल सकता है।



11. **लल्लुभाई स्वास्थ्य केंद्र का वार्षिक दिवस समारोह:** लल्लुभाई कम्पाउंड स्वास्थ्य केंद्र का 4 था वार्षिकोत्सव , मानखुर्द में 10 नवंबर, 2017 को आयोजित किया गया। उत्सव का तात्पर्य इस क्षेत्र के अन्य युवाओं को प्रोत्साहित करना था। व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण में सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षणार्थियों को एमआरवीसी द्वारा इस अवसर पर निम्नलिखित प्रशिक्षण संबंधी सामग्री भेंट की गयी।

1. इलेक्ट्रिशियन पाठ्यक्रम में 56 प्रशिक्षणार्थियों को कोर्स पूरा होने पर इलेक्ट्रिशियन किट और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए।
2. 'स्वास्थ्य सहायक' का कोर्स पूरा करनेवाले 30 प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र और मेमेन्टो प्रदान किए गए।
3. मोबाइल रिपेयरिंग पाठ्यक्रम में 25 प्रशिक्षणार्थियों को कोर्स पूरा होने के पर मोबाइल रिपेयरिंग किट और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए।



(सी) स्टेशन विकास

“स्वच्छ भारत मिशन” के तहत कॉर्पोरेशन ने अपनी सीएसआर गतिविधि का विस्तार किया जिसमें गोवंडी स्टेशन/मध्य रेलवे के विकास के लिए चुना गया। तदनुसार गोवंडी स्टेशन पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रणाली की स्थापना का कार्य सीएसआर गतिविधि में शामिल किया गया है। प्रतिदिन स्वच्छता का काम, कचरे के डिब्बों की स्थापना और जन-जागरूकता के कार्यक्रम मैसर्स संपूर्ण अर्थ पर्यावरण समाधान प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए जाते हैं। स्टेशन पर रख-रखाव गतिविधियों के तहत थूक के निशान हटाते हैं, मुश्किल कोनों की सफाई, कूड़ेदान की सफाई और बिन-लाइनर, छत की सफाई, पोस्टर हटाने इत्यादि का कार्य प्रतिदिन होता है।

कचरा प्रबंधन के तहत गोवंडी स्टेशन पर रखे जाने वाले कचरे को इकट्ठा किया जाता है तथा जैविक कचरे का अलग किया जाता है जिसमें भोजन, रसोई कचरा एवं अन्य कचरा होता है तथा गैर जैविक कचरा जिसमें पेपर (सफेद और रंगीन), मिश्रित कागज, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक (सॉफ्ट एंड हार्ड), पीईटी बोतल, कांच की बोतलें आदि होती हैं। जैविक कचरे को प्रति माह खाद में रूपांतरित किया जाता है।



स्टेशन की सफाई पोस्टर निकालना



प्लेटफार्म की छत की सफाई जागरूकता पोस्टर डस्टबीन की सफाई



सीढ़ियों की सफाई थूक के दाग की सफाई



लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मैसर्स संपूर्ण अर्थ पर्यावरण समाधान प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों द्वारा नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जाता है, पोस्टर लगाए जाते हैं।



भारत में राजभाषा की स्थापना

किसी भी स्वाधीन देश के लिए, जो महत्व उसके राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का है, वही उसकी राजभाषा का है। प्रजातांत्रिक देश में जनता और सरकार के बीच भाषा की दीवार नहीं होनी चाहिए और शासन का काम जनता की भाषा में किया जाना चाहिए। जब तक विदेशी भाषा में शासन होता रहेगा, तब तक कोई देश सही अर्थों में स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपनी भाषा में ही स्पष्टता और सरलता से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। नूतन विचारों का स्पंदन और आत्मा की अभिव्यक्ति, मातृभाषा में ही संभव है। राजभाषा देश के भिन्न भिन्न भागों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है इसके माध्यम से जनता न केवल अपने देश की नीतियों और प्रशासन को भलीभांति समझ सकती है, बल्कि उसमें स्वयं भी भाग ले सकती है। प्रजातंत्र की सफलता के लिए ऐसी व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। विश्व के सभी स्वतंत्र देश और नवोदित राष्ट्रों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि उनका उत्थान, उनकी अपनी भाषाओं के माध्यम से ही संभव है। रूस, जापान, जर्मनी, आदि सभी राष्ट्र इसके प्रमाण हैं। भारतीय संविधान सभा इस तथ्य से पूर्णतः परिचित थी। इसलिए यद्यपि अंग्रेजी के समर्थकों ने उसकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति और समृद्धि की बड़ी वकालत की, फिर भी राष्ट्रीय नेताओं ने देश के बहुसंख्यक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली और देश के अधिकांश भाग में समझी जानेवाली भाषा हिन्दी को ही भारत संघ की राजभाषा बनाया।

हिन्दी को संघ की राजभाषा 1950 में ही घोषित कर दिया गया था किंतु केंद्र सरकार के कामों में हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान देने के लिए गंभीरता से प्रयास केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 1960 में और विशेषकर राजभाषा अधिनियम, 1963 के पास होने के बाद से प्रारंभ किया गया। उस समय यह अनुभव किया गया कि हिन्दी के माध्यम से प्रशासन का कार्य चलाने के लिए कुछ प्रारंभिक तैयारियों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे:-

1. प्रशासनिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं विधि शब्दावली का निर्माण।
2. प्रशासनिक एवं विधि साहित्य का हिन्दी में अनुवाद।
3. अहिन्दी भाषी सरकारी कर्मचारियों का हिन्दी प्रशिक्षण।
4. हिन्दी टाइपराइटर्स एवं अन्य यांत्रिक साधनों की व्यवस्था आदि।

शब्दावली का निर्माण

शब्दावली निर्माण के लिए शिक्षा मंत्रालय ने 1950 में वैज्ञानिक तथा तकनीकी बोर्ड की स्थापना की थी। इसके मार्गदर्शन में शिक्षा मंत्रालय के हिन्दी विभाग ने तकनीकी शब्दावली के निर्माण का कार्य शुरू किया था। बाद में हिन्दी विभाग का विस्तार होते होते सन् 1960 में केंद्रीय हिन्दी निदेशालय की स्थापना हुई। इसके कुछ समय बाद 1961 में राष्ट्रपति के आदेशानुसार वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। निदेशालय तथा आयोग ने अब तक विज्ञान, मानविकी, आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी, कृषि तथा प्रशासन आदि के 4 लाख अंग्रेजी के तकनीकी शब्दों के हिन्दी पर्याय प्रकाशित किए हैं। इसी प्रकार राजभाषा (विधायी) आयोग तथा राजभाषा खंड ने विधि शब्दावली का निर्माण कार्य लगभग पूरा कर लिया है। सन 1979 में प्रकाशित विधि शब्दावली इसका स्पष्ट प्रमाण है। इसमें लगभग 34000 विधिक शब्दों के हिन्दी पर्याय प्रकाशित किए गए हैं।

प्रशासनिक साहित्य का अनुवाद

केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के मैनुअलों, संहिताओं, फार्मों आदि का अनुवाद कार्य पहले शिक्षा मंत्रालय के केंद्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा किया जाता था। मार्च, 1971 से यह कार्य गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के अधीन स्थापित केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो को सौंपा गया है। ब्यूरो ने निदेशालय द्वारा अनूदित साहित्यके अतिरिक्त अब तक लगभग 3 लाख मानक पृष्ठों का अनुवाद करके विभिन्न मंत्रालयों को उपलब्ध करा दिया है। इस समय ब्यूरो मंत्रालयों, विभागों के अतिरिक्त अन्य सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों आदि के मैनुअलों का भी अनुवाद कर रहा है। इसी प्रकार विधि मंत्रालय के राजभाषा खंड ने भी अब तक 13000 मानक पृष्ठों के 1000 से अधिक केंद्रीय अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत कर दिया है और यह कार्य निरंतर चल रहा है। इसके अतिरिक्त नियमों तथा अन्य विधिक साहित्य का भी अनुवाद किया गया है।

हिन्दी शिक्षण योजना

केंद्रीय सरकार के हिन्दी न जानने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण का कार्य शिक्षा मंत्रालय की देखरेख में 1952 में प्रारंभ हुआ था, किंतु बाद में लिए गए निर्णय के अनुसार अक्टूबर, 1955 से यह कार्य गृह मंत्रालय के तत्वावधान में हो रहा है। प्रारंभ में यह प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए था, जो अपनी इच्छा से हिन्दी पढ़ना चाहते हैं बाद में अप्रैल 1960 में राष्ट्रपति के आदेश के अधीन हिन्दी का सेवाकालीन प्रशिक्षण उन सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया जो 01-01-1961 को 45 वर्ष के नहीं हुए थे। फिर भी, स्वेच्छा से हिन्दी सीखने वालों की तादाद अधिकतर जगहों पर इतनी पर्याप्त है कि राजभाषा विभाग ने अभी तक इस अनिवार्यता का प्रयोग नहीं किया है और हिन्दी प्रशिक्षण का कार्य सारे देशमें स्वेच्छा तथा प्रोत्साहन के आधार पर चल रहा है।

इसी प्रकार टंककों और आशुलिपिकों के लिए भी हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। इस समय देश भर में हिन्दी प्रशिक्षण के 149 केंद्र चल रहे हैं, जिनमें 73 पूर्णकालिक और 76 अंशकालिक हैं। इन केंद्रों के माध्यम से जून, 1981 तक लगभग 4,37,360 कर्मचारियों ने हिन्दी की विभिन्न परीक्षाएं तथा 34,531 कर्मचारियों ने हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपिक की परीक्षाएं पास कर ली हैं।

यांत्रिक साधनों की व्यवस्था

कुछ वर्ष पहले देवनागरी के टाइपराइटर्स का उत्पादन मांग के अनुसार नहीं था। किंतु अब औद्योगिक विकास विभाग, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय एवं टाइपराटर बनानेवाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के सहयोग से देवनागरी टाइपराइटर्स के उत्पादन में प्रगति हुई है। इस समय देवनागरी टाइपराइटर्स का उत्पादन मांग के अनुसार है। वर्ष 1978 में 11,573 1979 में 13,686 तथा 1980 में 12,754 देवनागरी टाइपराइटर्स का उत्पादन हुआ। वर्ष 1981 में विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के पास कुल 1367 देवनागरी टाइपराइटर थे।

कम्प्यूटर

कम्प्यूटर में देवनागरी लिपि तथा भारतीय भाषाओं के प्रयोग की सुविधा के विकास के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक विभाग तथा इलेक्ट्रॉनिक आयोग द्वारा विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ वर्ष पहले ई.सी.आई.एल. हैदराबाद ने कम्प्यूटर में हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोग के संबंध में एक प्रोटोटाइप बनाया था। उसे और उपयोगी बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में बिरला इंस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी एंड साइंस, पिलानी ने भी ऐसे ही एक कम्प्यूटर का प्रोटोटाइप बनाया है। इसके अलावा टाटा ब्रदर्स, मुंबई की एक फर्म ने भी इस प्रकार का कम्प्यूटर प्रोटोटाइप बनाया है। कम्प्यूटर में देवनागरी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का प्रयोग करने की दृष्टि से कोड निर्धारित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी आयोग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

इलेक्ट्रॉनिक टेलीप्रिंटर

संचार मंत्रालय के अधीन एक सरकारी उपक्रम हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर लि. द्वारा इलेक्ट्रॉनिक टेलीप्रिंटर बनाए जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकी के लिए एक समिति का गठन किया जा चुका है। इसी प्रकार हिन्दी के बिजली से चलने वाले टाइपराइटरों और पिनप्वाइंट टाइपराइटरों के निर्माण के लिए भी कार्यवाई की जा रही है।

हिन्दी की मुद्रण क्षमता में वृद्धि

भारत सरकार के विभिन्न प्रेसों की हिन्दी मुद्रण क्षमता कुछ समय पहले संतोषजनक नहीं थी। आवास तथा निर्माण मंत्रालय के सहयोग से मुद्रण निदेशालय ने हिन्दी मुद्रण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए हैं, जिससे इस दिशा में काफी प्रगति हुई है। पहले हिन्दी मुद्रण क्षमता केवल 400 पृष्ठ प्रतिदिन थी, अब यह बढ़कर 1200 पृष्ठ प्रतिदिन तक पहुंच गई है।

राजभाषा के संबंध में कानूनी व्यवस्थाएं

राजभाषा नीति को लागू करने के लिए 1963 में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया और इसमें 1976 में संशोधन किया गया। इसके कुछ प्रमुख उपबंध इस प्रकार हैं:-

1. अधिनियम की धारा 3 के अनुसार (क) संघ के उन सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए, जिनके लिए 26 जनवरी, 1965 से तत्काल पूर्व अंग्रेजी का प्रयोग किया जा रहा था और (ख) संसद में कार्य निष्पादन के लिए 26 जनवरी, 1965 के बाद भी हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जा सकेगा।
2. केंद्र सरकार और हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले किसी राज्य के बीच पत्राचार अंग्रेजी में होगा, बशर्ते उसे राज्य ने इसके लिए हिन्दी का प्रयोग करना स्वीकार न किया हो। इसी प्रकार, हिन्दी भाषी राज्यों की सरकारें ऐसे राज्यों की सरकारों के साथ अंग्रेजी में पत्राचार करेगी और यदि वे ऐसे राज्यों को कोई पत्र हिन्दी में भेजती हैं तो साथ-साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भी भेजेंगी। पारस्परिक समझौते से यदि कोई भी दो राज्य आपसी पत्राचार में हिन्दी का प्रयोग करें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
3. केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, आदि के बीच पत्र व्यवहार के लिए हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब तक संबंधित कार्यालयों आदि के कर्मचारी हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त न कर लें, तब तक पत्रादि का दूसरी भाषा में अनुवाद उपलब्ध कराया जाता रहेगा।
4. राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अनुसार निम्नलिखित कागजपत्रों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य है- 1. संकल्प, 2. सामान्य आदेश, 3. नियम, 4. अधिसूचनाएँ, 5. प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्ट, 6. प्रेस विज्ञप्तियाँ, 7. संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखी जानेवाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें एवं 8. सरकारी कागजपत्र, 9. संविदाएं, 10. करार, 11. अनुज्ञप्तियाँ, 12. अनुज्ञापत्र, 13. टेंडर नोटिस और 14. टेंडरफार्म।
5. धारा 3 (4) के अनुसार अधिनियम के अधीन नियम बनाते समय यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि यदि केंद्रीय सरकार का कोई कर्मचारी हिन्दी या अंग्रेजी में से किसी एक ही भाषा में प्रवीण हो, तब भी वह अपना सरकारी कामकाज प्रभावी ढंग से कर सके और केवल इस आधार पर कि वह दोनों भाषाओं में प्रवीण नहीं है, उसका कोई अहित न हो।
6. राजभाषा (संशोधन) अधिनियम, 1967 द्वारा अधिनियम की धारा 3 (5) के रूप में यह उपबंध किया गया है कि उपर्युक्त विभिन्न कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने संबंधी व्यवस्था तब तक जारी रहेगी, जब तक हिन्दी को राजभाषा के रूप में न अपनाने वाले सभी राज्यों के विधान मंडल अंग्रेजी का प्रयोग खत्म करने के लिए आवश्यक

संकल्प पारित न करें और इन संकल्पों पर विचार करने के बाद संसद का प्रत्येक सदन भी इसी आशय का संकल्प पारित न कर दें।

7. अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व-सम्मति से, उस राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए अथवा पारित किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश के लिए, अंग्रेजी भाषा के अलावा, हिन्दी अथवा राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकता है। यदि कोई निर्णय या आदेश अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में दिया या पारित किया जाता है तो उसके साथ साथ संबंधित उच्च न्यायालय के प्राधिकार से अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद भी दिया जाएगा। अब तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के राज्यपालों ने अपने उच्च न्यायालयों में उपर्युक्त उद्देश्यों के लिए राष्ट्रपति से हिन्दी के प्रयोग की अनुमति ली है।

राजभाषा संशोधन अधिनियम पारित करने के साथ साथ दिसंबर, 1967 में संसद के दोनों सदनों में सरकार की भाषा नीति के संबंध में एक सरकारी संकल्प भी पारित किया था। इस संकल्प के पैरा 1 के अनुसार केंद्रीय सरकार हिन्दी के प्रसार तथा विकास और संघ के विभिन्न सरकारी प्रयोजनों के लिए उसके प्रयोग में तेजी लाने के लिए एक अधिक गहन और विस्तृत कार्यक्रम तैयार करेगी और उसे कार्यान्वित करेगी। इसके अतिरिक्त इस संबंध में किए गए उपायों तथा उसमें हुई प्रगति का व्यौरा देते हुए एक वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संसद के सदनों के सभा पटल पर प्रस्तुत करेंगी। सन् 1968 से निरंतर वार्षिक कार्यक्रम बनाया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों एवं विभाग से अनुरोध किया जाता है कि हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए उसके अनुसार कार्रवाई करें। अब तक इस प्रकार की 10 रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

संस्कृत की एक लाइली बेटी है ये हिन्दी।

बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिन्दी।

सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है,

ओजस्विनी है और अनूठी है ये हिन्दी।

पाथेय है, प्रवास में, परिचय का सूत्र है,

मैत्री को जोड़ने की सांकल है ये हिन्दी।

पढ़ने व पढ़ाने में सहज है, ये सुगम है,

साहित्यका असीम सागर है ये हिन्दी।

तुलसी, कबीर, मीरा ने इसमें ही लिखा है,

कवि सूर के सागर की गागर है ये हिन्दी।

वागेश्वरी का माथे पर वरदहस्त है,

निश्चय ही वंदनीय मां-सम है ये हिंदी।

अंग्रेजी से भी इसका कोई बैर नहीं है,

उसको भी अपनेपन से लुभाती है ये हिन्दी।

यूं तो देश में कई भाषाएं और हैं,

पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिन्दी।

इंटरनेट से साभार

मोहन

मुमकिन है कि ज़्यादातर लोगों के लिए वह साल पहले के सभी सालों की तरह चुपचाप एक जनवरी को आकर खड़ा हो गया हो लेकिन खुद मुझे उन्नीस सौ नवासी का बेसब्री से इन्तिज़ार था। उस साल से भी ज़्यादा मुझे एक चिट्ठी का इन्तिज़ार था। वे दिन चिट्ठियों के दिन हुआ करते थे। जो चिट्ठी मुझे मिलनी थी उसे बड़ौदा स्थित रेलवे स्टाफ कॉलेज से आना था, यूँ कहते हुए कि भारत के राष्ट्रपति की दिली अर्ज़ी है कि मैं जल्द से जल्द स्टाफ कॉलेज पहुँच कर रेलवे की बागडोर सँभाल लूँ। चिट्ठी कहीं अटक गयी लगती थी। एक दिन अचानक ही डाकिया उसे लेकर हाज़िर हुआ और उसके बाद कुछ ही दिनों में मैं अपने जीवन की पहली वातानुकूलित यात्रा कर रही थी।

उस साल देश और दुनिया में जो घटनाएं हुईं उन्हें याद कर लगता है कि न केवल उन्नीस सौ नवासी, उसके आस पास के साल भी बड़े ज़बरदस्त साल थे। देखते ही देखते सब कुछ बदल रहा था। मेरी ट्रेनिंग से ज़्यादा तेज़ रफ़्तार से ये घटनाएं हो रहीं थीं। चीन में लाखों छात्र त्यानेमें स्क्वायर में आज़ादी मांग रहे थे, पूर्व यूरोप में आज़ादी का जन्म हो रहा था, बर्लिन की दीवार तोड़ी जा रही थी, शीत युद्ध रातों रात ख़त्म हो गया था और मेरे अपने देश में आतंकवाद की बेल ने ऊपर चढ़ना शुरू किया था; भारत के गृहमंत्री की बेटी का अपहरण होना उस साल की बड़ी घटना थी। मैं ट्रेनिंग के दौरान एक शहर से दूसरे शहर, एक स्टेशन से किसी और स्टेशन, और बीच बीच में बड़ौदा में सुबह के अख़बार में ये सब ख़बरें पढ़ती थी। मालूम होता था एंट्रोपी के सिद्धांत का प्रैक्टिकल चल रहा है।

इन सारे परिवर्तनों के बीच एक ऐसे व्यक्ति की याद मुझे आती है जो एक निहायत ठहरा हुआ सा आदमी था। मोहन। मोहन झाँसी के अधिकारी विश्राम गृह में बावर्ची था। झाँसी ऐसी गिनी चुनी जगहों में था जहाँ विश्राम गृह में हमें शरण भी मिल जाती थी और घर जैसा खाना भी। रेस्ट हाउस अंग्रेज़ों का बनाया दिखता था; ऊंची छत, विशाल कमरे, चौड़े बरामदे, इर्द गिर्द ऊंचे पुराने पेड़ों की छाया, और क्या ही शांति। समय यहाँ आकर ठहर गया था। इक्का दुक्का अधिकारी, कुछेक गौरेयां, मैनाएं, एक दो बटाईदार कुत्ते, और इन सब का मुखिया मोहन - झाँसी रेस्टहाउस की साल 1989 में बस इतनी सी आबादी थी। मोहन अपनी खाकी कमीज़ में रसोईघर में तैनात रहता था और आम तौर पर मौन व्रत रखता था। अगर कभी रेस्ट हाउस के बगीचे में काम करता माली या किसी आगंतुक अधिकारी का ड्राइवर उससे बात करने की कोशिश करता तो उसे निराशा ही हाथ लगती। उसकी खाकी पोषाक और गुरु गंभीर चुप्पी का दबदबा न केवल झाँसी रेलवे कॉलोनी के गरीब गुरबों पर था, मुझ जैसे यायावर अधिकारियों पर भी था। उसकी कीमत का एहसास जो

था। भारतीय रेल के तमाम मंडलों में भटकने और रात बेरात अनजान जगहों में खाने की तलाश करने के बाद झाँसी में मोहन की शांत उपस्थिति और उसके गरम खाने से राहत मिलती थी। मेरा कार्यक्रम चाहे जितना भी आकस्मिक हो, रेल मंत्री आ रहे हों, महाप्रबंधक जा रहे हों, रूस में ग्लासनोस्त हो रहा हो, तेंदुलकर क्रिकेट पिच पर जादू कर रहा हो, मोहन हर चीज़ से परे अपनी दाल में तड़का दे रहा होता और अपने लंगर में आये भक्तों को खाना खिला रहा होता। इस तरह दो साल गुज़र गए और ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मेरा झाँसी रेस्ट हाउस से रिश्ता ख़त्म हो गया। फिर पांचेक साल बाद जब मैं फिर झाँसी गयी तो फिर वही रेस्ट हाउस और फिर वही मोहन अपनी चिर परिचित खाकी शर्ट में। हाँ, अबकी बार मेरे साथ दो छोटे बच्चों को देखकर एक क्षणभंगुर मुस्कान उसके चेहरे पर ज़रूर दिखी। मेरे हज़ार सवालों पर उसका वही नपा तुला जवाब। मैंने हार मान ली और अपना रास्ता देखा।

लगभग तीन महीने पहले मैं अपने माँ बाप से मिलने महोबा गयी। झाँसी में गाड़ी बदलनी थी। इतना समय था कि रेस्ट हाउस जाया जा सकता था। मैंने मौके का फायदा उठाया। इस बार सब कुछ बदला मिला। नयी शैली का रेस्ट हाउस, तेज़ आवाज़ करते वातानुकूलन यन्त्र, गेरुए गमलों की कतारें, बिसलेरी की बोटलों में पानी, चमकदार फर्नीचर, और एक अजनबी केयरटेकर। रेस्ट हाउस को इस्तेमाल करने का मन ही नहीं हुआ पर खानापूरी करने को मैं अंदर गयी और मिनटों में बाहर आ गयी। मैं गाड़ी में बैठने को थी कि रेस्ट हाउस की बाउंड्री दीवार के दूसरी ओर एक जानी पहचानी सूरत एक पेड़ के पीछे दिखी। मोहन। मुझे अपनी तरफ आते देख वो मुस्कुराया। मैंने अपना हाथ उसके हाथ से मिलाने को बढ़ाया तो वो मुखर हो पड़ा। मुझे पता चला कि कई सालों से वो रेस्ट हाउस में नहीं बल्कि किसी बड़े अफसर के घर में खाना बना रहा था। नए सी आर बी के आदेश के बाद अब वो न घर का है न घाट का। पर कोई तकलीफ नहीं। छह महीने में रिटायरमेंट है। बेटा रेलवे में लग गया है। मोहन अपने बेटे का तबादला झाँसी में करवाने की कोशिश कर रहा है। इस सिलसिले में दिल्ली जा कर जमशेद साब से मिल आया है। साब उसे देख कर खुश हुए थे। सुनकर मेरा दिल भर आया।

पिछले तीन दशकों में मैंने भारतीय रेल में अनगिनत परिवर्तन होते देखे हैं। नए रेलवे पैदा हुए, नए मंडल बने, स्टीम लोको गया, शताब्दी आयी, ओ एफ़ सी आया, फर्स्ट क्लास गया। परिवर्तन शाश्वत है ये सच है। पर ये ख़याल कि अगली बार झाँसी रेस्ट हाउस में मोहन नहीं दिखेगा, मुझे सालता है।

स्मृति वर्मा

वित्त सलाहकार व
मुख्य लेखा अधिकारी

धन्यवाद यात्री

यात्रा चाहे महानगर में होती हो या फिर दूसरे गाँव जाने में , पर यात्रा के दौरान बहुत सी सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है। यात्रियों की दृष्टि से देखा जाए तो मूलतः सुविधाएँ दो प्रकार की होती हैं, एक जो स्थानकों पर प्रदान की गई हैं और दूसरी जो गाड़ियों में उपलब्ध की गई हैं। आइए उपनगरीय परिवहन प्रणाली में इन सुविधाओं के रख रखाव, उपयोगिता और यात्रियों की इन पर प्रतिक्रिया अथवा कथनों के कुछ मुख्य विषयों पर विस्तार रूप से चर्चा करते हैं।

स्थानकों पर उपलब्ध सुविधाओं में जो अहम सुविधाएँ हैं उनमें प्लेटफार्म की लम्बाई, उँचाई, चौड़ाई और सतह, उस पर रोशनी, पंखे, विविध प्रकार के साइनेज, टिकट घर, उदघोषणा प्रणाली, पेयजल, खाद्य पदार्थ एवं चाय स्टॉल, पुस्तक भण्डार, पुरुष तथा महिला प्रसाधन, स्थानक पर आवागमन सुविधा, सुरक्षा एवं संरक्षा इत्यादि समाविष्ट हैं।

गाड़ियों में उपलब्ध सुविधाओं में जो अहम सुविधाएँ हैं उनमें, बैठने के स्थान, खड़े रहने की सुविधा, दरवाजे-खिड़कियाँ और उन पर लगी काँच की पट्टी, चढ़ने उतरने के डण्डे, धातु की फर्श, पंखे, इंडिकेटर, ब्लोवर इत्यादि।

अक्सर प्लेटफॉर्म की लम्बाई उस स्थानक पर रुकने वाली गाड़ियों के अनुसार होती है पर बड़े स्टेशनों पर तो कई गाड़ियाँ ऐसी भी खड़ी होती हैं जो कि बीस डिब्बों की होती हैं और उन्हीं के अनुसार प्लेटफार्म की लम्बाई होती है। इतने लम्बे प्लेटफार्म पर जब उपनगरीय गाड़ी, जो कि बारह या पंद्रह डिब्बे वाली होती है, खड़ी होती है तब यात्रियों को यह पता नहीं चल पाता कि लोकल गाड़ी कहाँ और वास्तव में किस स्थान पर खड़ी होगी। इसके लिए साइनेज बोर्ड उपलब्ध नहीं किए गए हैं। परेशानी तो तब होती है जब वह यात्री उपनगर में नया आया हो अथवा परिवार के सदस्यों के साथ गाड़ी पकड़ना चाहता हो।

इसी तरह द्वितीय श्रेणी के डिब्बों की स्थिति का सही पता नहीं चल पाता कारण मोटर कोच के आते ही यात्री को वहाँ से चलकर लोकल के दरवाजे की ओर भागना पड़ता है। युवा यात्रियों को तो फर्क नहीं पड़ता पर वयोवृद्ध यात्रियों को तथा बालकों के साथवाले यात्रियों को कठिनाईयाँ झेलनी पड़ती हैं फलस्वरूप यात्री को या तो वह गाड़ी छोड़ देनी पड़ती है या फिर उसमें दौड़ कर चढ़ना पड़ता है। और तो और आने वाली अगली गाड़ी उसी स्थान पर खड़ी होगी उस की क्या गारंटी? हो सकता है कि वो कुछ आगे निकल कर खड़ी हो जाए। इसके लिए साइनेज बोर्ड उपलब्ध नहीं किए गए हैं। लेकिन ऐसी कठिनाई मेट्रो के सफर में नहीं होती है। इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी लगभग अस्सी लाख लोग प्रतिदिन मुंबई

की उपनगरीय गाड़ियों से सफर करते हैं, इसीलिए धन्यवाद यात्री।

एक और विषय है जिस पर काफी चर्चा हो चुकी है वह है प्लेटफार्म की ऊँचाई। इस पर उपनगरीय प्रणाली में सभी स्थानकों के प्लेटफार्म की ऊँचाई बढ़ा दी गई है। लेकिन, अभी भी कई स्थानक हैं जहाँ की ऊँचाई पर्याप्त नहीं है जिससे वयोवृद्ध, गर्भवती महिलाएँ तथा बालक चढ़-उतर सकें। चूँकि लोकल के डिब्बे सीढ़ी-विहीन होते हैं, यात्रियों को चढ़ने उतरने में काफी दिक्कत होती है, विशेषकर भारी भरकम और कमजोर व्यक्तियों को। परंतु सतह बढ़ाने का काम कई स्थानकों पर चल रहा है और आशा है की शीघ्र ही सम्पूर्ण हो जाएगा। लेकिन इतना होने के बावजूद भी लगभग अस्सी लाख लोग प्रतिदिन मुंबई की उपनगरीय गाड़ियों से सफर करते हैं, इसीलिए धन्यवाद यात्री।

प्लेटफार्म की चौड़ाई के विषय में यह पाया गया है कि बारह और पंद्रह डिब्बे की लोकल चलाने के लिए प्लेटफार्म को जैसा बनाकर चौड़ा कर दिया गया है। कई स्थानकों पर, छोरों पर प्लेटफार्म की पर्याप्त चौड़ाई के अभाव में यात्रियों को उतरने चढ़ने में दिक्कत आती है। उतरते-चढ़ते समय एक दूसरे से धक्का-मुक्की भी हो जाती है और फिर आपस में विवाद भी हो जाता है।

कई स्थानकों पर तो प्लेटफार्म की सतह का रख-रखाव ठीक नहीं होने के कारण सतह उबड़-खाबड़ हो जाती है। जिसके कारण सवेरे और शाम की गर्दी के समय यात्रियों को अधिक सभल कर चलना पड़ता है। कई बार वह गिर भी जाते हैं। यदि सही सलामत उठ गए तो ठीक वरना दाँतों के चिकित्सक के दर्शन करने पड़ सकते हैं, इसीलिए धन्यवाद यात्री।

कई प्लेटफार्मों पर बत्तियाँ फ्यूज हो जाती हैं और उन्हें बदलने में समय लगता है। इसके चलते रोशनी का अभाव हो जाता है तो स्त्रियों को दिक्कत झेलनी पड़ती है। कुछ जगह तो पंखे नाम-मात्र के लिए चलते हैं, हवा ही नहीं फेंकते। जब मौसम सर्द होता है तब तो ठीक किसी का ध्यान नहीं जाता पर मुंबई जैसे शहर में तो आठ से दस महीने गर्मी होती है। जिसके लिए पंखों का ठीक से चलना जरूरी है। अक्सर यह देखा गया है कि विविध प्रकार के साइनेज बोर्ड लगाए गए हैं लेकिन एक दूसरे के सामने लगे हैं। खास कर के एलईडी घड़ी के सामने ही कई सायनेज बोर्ड होते हैं जिससे समय देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन इतना होने के बावजूद भी लगभग अस्सी लाख लोग प्रतिदिन मुंबई की उपनगरीय गाड़ियों से सफर करते हैं, इसीलिए धन्यवाद यात्री।

स्थानकों के विस्तार के चलते जहाँ भी जगह मिली टिकट घर बना दिए गए हैं। यह देखा गया है कि अक्सर यात्री टिकट घर का पता पूछते हैं तो यह दर्शाता है कि स्थानकों के विस्तार के पूर्व योजना के समय उचित ध्यान नहीं दिया गया है। कई जगह तो टिकट लेनेवाले यात्रियों की कतार इतनी लम्बी होती है कि स्थानक के

आवागमन में बाधाएं आती हैं। और कई यात्री इस लम्बी कतार को देख कर, कहीं गाड़ी न छूट जाए इस डर से बिना टिकट ही यात्रा करते हैं। लगभग अस्सी लाख लोग प्रतिदिन मुंबई की उपनगरीय गाड़ियों से सफर करते हैं, तब तो रेल प्रशासन को नुकसान भी झेलना पड़ता होगा। फिर भी अधिकतर यात्री टिकट लिए बगैर यात्रा नहीं करते हैं इसी लिए धन्यवाद यात्री।

पेय जल खाद्य पदार्थ एवं चाय स्टॉल, पुस्तक भंडार इत्यादि का प्लेटफार्म पर स्थित होना एक चर्चा का विषय है। यदि यह नहीं होते हैं तो दिक्कत आती है और यदि यह सही ढंग से योजित न हों तो यात्रियों के चलने-फिरने की जगह में रुकावट बन जाते हैं इस विषय में तो कई बार चर्चा हो चुकी है और इन में सुधार भी किए जा रहे हैं। लेकिन कई यात्रियों की प्रतिक्रिया है कि योजना ठीक नहीं है। सुविधा होना एक बात है पर सुविधा से असुविधा होना गौर करने की बात है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी लगभग अस्सी लाख लोग प्रतिदिन मुंबई की उपनगरीय गाड़ियों से सफर करते हैं, इसीलिए धन्यवाद यात्री।

कई स्थानकों पर तो पुरुष तथा महिला प्रसाधन प्लेटफार्म पर ऐसी जगह बने हैं जहाँ महिला डिब्बा ठहरता है। रख-रखाव ठीक न होने के कारण सभी यात्री के मुँह पर रुमाल पाए जाते हैं। वे भी क्या करें मजबूर हैं। स्थानक पर आवागमन सुविधा, सुरक्षा एवं सरक्षा इत्यादि के विषय में लिखा जाए तो यह लेख कभी खत्म ही न हो। लेकिन इन सभी अभावों के बावजूद भी लगभग अस्सी लाख लोग प्रतिदिन मुंबई की उपनगरीय गाड़ियों से सफर करते हैं, इसीलिए धन्यवाद यात्री!

गाड़ियों में उपलब्ध सुविधाओं में अक्सर पंखे और बत्तियों की शिकायतें रहती हैं। गर्मियों में अक्सर पंखे नहीं चलते और बरसात में खिड़की के काँच बंद नहीं हो पाते हैं वहीं आजकल नए रेक आए हैं जिनमें ब्लोवर लगे हैं जो डिब्बों में वायु संचालन का काम करते हैं, पर अक्सर यह देखा गया है कि ये बंद ही रहते हैं जिससे डिब्बों में भीड़ के कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। कई डिब्बों में रात के समय बत्ती गुल रहती है और वह रेक उसी तरह चलता रहता है जब तक की वह कार्यशाला हो कर नहीं आ जाता। अब यात्रा तो करनी है। इन सब छोटी-मोटी बातों को अनदेखी करके यात्री अपना सफर तय कर लेते हैं। लेकिन इन सभी अभावों के बावजूद भी लगभग अस्सी लाख लोग प्रतिदिन मुंबई की उपनगरीय गाड़ियों से सफर करते हैं इसीलिए धन्यवाद यात्री!

शरद मिश्र

उप मुख्य परिचालन प्रबंधक

परिस्थिति पूछने आए !

आज परिस्थिति पूछने आए !

अंग्रेजों से सीखी भाषा, बड़ी कुशलता बोल लेते हो,
अम्मा दूध पिला के सिखाई, फिर भी नहीं बोल पाते हो,
अरे ! अपने घर भूली निज भाषा, परदेसी क्या बखानने आए ?

आज परिस्थिति पूछने आए !

कितनी बूढ़ी क्यों न होती, माँ तो आखिर माँ ही होती है,
कितने पिज़्ज़ा, बरगर खालो, रोटी – दाल ही पेट भरती है,
अरे ! बूढ़ी गाय ना मन भाई तो, छेरी का दूध दुहाने आए ?

आज परिस्थिति पूछने आए !

हन्स हो तुम, हन्स ही रहते, कौआ क्यों बनने चले आए ?
अच्छी खासी मातृ भाषा तज, परदेसी लिखना क्यों भाए ?
अरे ! पहले सोचे निज भाषा में, बाद अंग्रेजी लिखने आए ?

आज परिस्थिति पूछने आए !

छोटी सी छोटी भी टिप्पणी, हिंदी में लिखते, क्या जाता ?
करते बहुत प्रयत्न तुम निस दिन, अंग्रेजी कहाँ तुम्हें लिखने आता ?
अरे ! सात समंदर पार की भाषा, हमें 'शरद' तुम सिखाने आए ?

आज परिस्थिति पूछने आए !

शरद मिश्र 'शरद'
उप मुख्य परिचालन प्रबंधक

जब पुस्तकें मुसीबत बन जाती हैं

किसी प्राचीन महात्मा ने कहा था । पुस्तकें मानव की सच्ची मित्र हैं, लेकिन साहब जबसे हमने होश संभाला, पुस्तकें हमें जान की मुसीबत लगीं। पुस्तकों से हमने मोहब्बत भी खूब की, पुस्तकें हमारी दुश्मन भी खूब बनी इसीलिए कभी यदि महात्मा की श्रेणी में हम आ जाएं तो कृपया हमारा यह कथन अवश्य लिख लें - “पुस्तकें मानव की सच्ची मुसीबत हैं।

जैसे जैसे हम खजूर के पेड़ की भांति उपर की ओर उठने लगे तथा बस्ती-मोहल्ले के बच्चे हर मां-बाप के लिए सिरदर्द बनने लगे, तब किशोर वयस्क की इस उम्र-संधि हेतु माँ-बाप को सीध-साधा उपाय पुस्तकें ही लगी जिससे हमारी रोज-रोज होनेवाली शिकायतों से वह बचें।

ट्यूशन मास्टरजी भी सदा लेक्चर देने लगे समझदार रिश्तेदार और वृद्ध-वयोवृद्ध की रोज-रामायण में भी हमें यही आदर्श-वाक्य सिखाए जाने लगे.. बेटे कुछ पढ़ लिख लो तो बनोगे नवाब। चूंकि यह किशोर वय थी अतएव स्वाभाविक ही था कि कभी हमारा बेताब मन पायलट बनने की सोचता कभी मिलिट्री अधिकारी, कभी सोचते शिक्षक बनकर बच्चों की रोज पिटाई करेंगे, कभी मन करता की हेड मास्टर बनकर शिक्षक-शिक्षिकाओं को जी भर डांट पिलायी जाए..

उस समय देव आनंद, दिलीप कुमार, राजकपूर की फिल्में देख डालते थे और उसी डायलॉग स्टाइल में कई बार अपने मां-बाप पर रोब डालते किंतु बाद में पता चला कि जिंदगी में चाहे जो कुछ बनना हो पुस्तकें इनमें बड़ी अहम भूमिका निभाती है।

खैर साहब, अब लड़ाकू से पढ़ाकू बनने की मन में ठान ली। अब आवश्यक था कि पुस्तकों से मोहब्बत की जाए क्योंकि अब तक किशोर से युवा हो गये थे हम। इस दौरान हमने पुस्तकों से चोरी करके महान लेखकों की रचनाएं चुरा ली तथा कई पुरस्कार भी ले लिए। पुस्तकों का महत्व खूब समझने लगे थे।

पुस्तकों की इस मोहब्बत में अब बड़े-बूढ़े हमको डांट पिलाने लगे थे क्योंकि इस लगन में सच्ची कहानियां, मनोहर कहानियां, शेरों-शायरी, फिल्मी दुनिया तथा जासूसी-रोमांटिक उपन्यास हमें पसंद आने लगे तथा इस कारण हम घरवालों के कोप-भाजन बनने लगे।

धीरे-धीरे हमारे पत्रकार मित्र जो बड़ी-बड़ी पत्रिकाओं में लिखते हैं उनसे हम यह तरीका भी सीख गए कि किस तरह मीठी-मीठी बातों में फंसाकर किसी की पुस्तक पढ़ी जाए तथा वापिस न किया जाए बस, ये हमारी आदत बन गई। अब दोस्तों की दोस्ती दुश्मनी में बदलने लगी उनकी पत्नियों को हम पर प्रतिबंध लगाने को मजबूर होना पड़ा अब एकता और अखंडता के बीच घृणा एवं क्रोध के मिले-जुले भावों से नफरत भरी

सांप्रदायिकता की आग फैलने लगी।

इस समय तक हमने कुछ प्रतिष्ठित पत्रकार तथा संपादक मित्रों से दोस्ती जोड़ ली थी। अपने व्यंग लेखों के जरिये हमने अपनी ईमानदारी का चित्रण करना प्रारंभ कर दिया तथा पुस्तक चोरी जैसे मामलों में दोषी लोगों के साथ घेराव, अपमान तथा प्रतिष्ठा पर कीचड़ फेंकने जैसे सुझावों से अपने ऊपर आफत बुला ली।

चूंकि हम नागपुर शहर के रहनेवाले हैं किंतु सरकारी नौकरी के सिलसिले में मुंबई को अपना प्रतिभा केंद्र बनाना पड़ा। इस समय तक पुस्तकें चोरी करके हम काफी पुस्तकें जमा कर चुके थे। इससे नगर के पुस्तक-वाचक वर्ग को हमसे चिढ़ होने लगी। इसी समय साहित्यिक मित्र की समीक्षक पत्नी मुंबई पधारी तथा एक साहित्यिक गोष्ठी के सिलसिले में, अपने सुंदर श्री मुख से उन्होंने हमारे बारे में सारी सच्चाईयां उगल दी।

हमारे साहित्यिक एवं पत्रकार मित्र अब दूर से ही कतराने लगे। हमसे उन्हें हर पल खतरा लगता। हमारी पुस्तकों की यह मोहब्बत जग-जाहिर हो गई थी। अपनी इस सौत के विषय में श्रीमतीजी ने हमारे ससुर को भी खबर दे दी।

हमारे नगर में पुस्तक मेला लगा, हमारे दिल में तहलका मचा, हमारी बीमारी से छुटकारा दिलाने हेतु साले साहेब के हाथों ससुरजी ने पांच सौ रुपये भिजवाए जिससे हम पुस्तकें खरीद लें।

दुर्भाग्य भी हमारा साथ दे रहा था। रात ही महानगर के एक उपनगर में पुस्तक दुकान में चोरी हो गयी। साहित्यिक मंडली में खफा एक दोस्त ने हमारे बारे में पुलिस को इशारा कर दिया।

हम शान से सज-संवरकर पुस्तक मेला में पहुंचे और भीतर घूमते समय एक पुलिसवाले ने हमें धर दबोचा। हम पर यह आरोप था कि हमने पुस्तकें चोरी की और इस मेले में पाँच सौ रुपए में बेच दी।

हम परेशान - बेहाल, उस साहित्यिक मित्र की कुटिल मुस्कान। जी भर हम उसे कोसने लगे, बदनाम करने ने नए तरीके सोचने लगे। हम प्रेस से भी संबंधित थे इसलिए पुलिस ने ज्यादा परेशान तो नहीं किया किंतु जी भरकर बेइज्जती की क्योंकि ये तो उसकी ड्युटी थी।

किसी तरह श्रीमतीजी ने हमें मना लिया। पुस्तक मेला अब भी हमारे शहर में लगा हुआ है। हमारी दिली-इच्छा अब भी यही है कि किसी तरह अपनी पसंदीदा पुस्तकें खरीद लाएं किंतु पुलिस एवं बदनाम मित्रों से डर लगता है और हम अपनी इच्छा मन में दबाये, मन का दर्द समेटे खामोश बैठे हैं। मुकेशजी का गाया गीत होंठों पर आकर रुक जाता है।...

हम तुमसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे।

- विजय कुमार श्रीवास्तव
हिंदी परामर्शदाता

यह अजनबी शहर है।

खोयी सी तन्हाईयां बेचैन हर सफ़र है,
हर मोड़ यहाँ गुम यह अजनबी शहर है।
इक भीड़ का समंदर अपना किसे कहें,
ख़ामोश हर लहर यह अजनबी शहर है।
राहें वो राही था शहर अपना भी,
छूटे सब साथी यह अजनबी शहर है।
बिसरी कुछ यादें कुछ पलों का साथ,
अनुभूतियों की दुनिया यह अजनबी शहर है।
सचाईयों की खुशबू ज़िंदगी की शामें,
निराली सी धूप-छाँव यह अजनबी शहर है।
अधूरे वह सिलसिले सिमटती सी दूरियां,
अजनबी “विजय” ज़िंदगी यह अजनबी शहर है।

विजय कुमार श्रीवास्तव
हिंदी परामर्शदाता

12 वाँ वार्षिकोत्सव

मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लि. का 12 वाँ वार्षिकोत्सव दिनांक 12 जुलाई, 2017 को गोडबोले सभागृह / पश्चिम रेलवे प्रधान कार्यालय चर्चगेट में आयोजित किया गया।



दीप प्रज्वलन करते हुए निदेशकगण



सभी निदेशक तथा मुख्य कार्मिक अधिकारी



कार्यक्रम का आनंद लेते अधिकारी व कर्मचारी



संबोधित करते हुए तत्कालीन निदेशक (परियोजना) एवं वर्तमान सी एम डी



संबोधित करते हुए निदेशक (वित्त)



संबोधित करते हुए निदेशक (तकनीक)



पुरस्कार प्राप्त करते हुए सामान्य विभाग



पुरस्कार प्राप्त करते हुए वित्त विभाग



पुरस्कार प्राप्त करते हुए कार्मिक विभाग



पुरस्कार प्राप्त करते हुए परिचालन विभाग



पुरस्कार प्राप्त करते हुए इंजीनियरिंग विभाग



पुरस्कार प्राप्त करते हुए परिकल्प विभाग



पुरस्कार प्राप्त करते हुए परिकल्प विभाग



पुरस्कार प्राप्त करते हुए विद्युत विभाग



पुरस्कार प्राप्त करते हुए विद्युत (प्रकल्प) विभाग



पुरस्कार प्राप्त करते हुए विद्युत विभाग

मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लि.



मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लि.

(रेल मंत्रालय का सार्वजनिक उपक्रम)

www.mrvc.indianrailways.gov.in

2 री मंजिल, चर्चगेट स्टेशन बिल्डिंग, चर्चगेट, मुंबई – 400 020